यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिलाधिकारी, गोपेश्वर, चमोली द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिलाधिकारी, गोपेश्वर, चमोली के माह 12/2014 से 04/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री ललित थपलियाल व श्री सूर्य पाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 22.05.2017 से 25.05.2017 तक श्री पी.सी.श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राम सनेही एवं श्री एस.के.सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 03.12.2014 से 09.12.2014 तक श्री पी.सी.श्रीवास्तव, ले.प.अधि. के पर्यवेक्षण में सम्पन्न किया गया थी। जिसमें माह 09/2011 से 11/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

1. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः जिला, चमोली, गोपेश्वर

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	-	-	286.34	240.44	84.98	79.04	-	-
2015-16	-	-	267.91	223.95	79.64	75.53	-	-
2016-17	-	-	314.73	245.37	63.46	63.17	-	-

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरणः

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी 'सी' की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

मुख्य सचिव/अध्यक्ष राजस्व परिषद्
प्रमुख सचिव (राजस्व)
सचिव राजस्व/राजस्व आयुक्त
आयुक्त गढ़वाल मण्डल
अपर सचिव (राजस्व)
जिलाधिकारी
अपर जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में वित्तीय लेन-देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिलाधिकारी, गोपेश्वर, चमोली की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2016 एवं 10/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 व 16, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

प्रस्तर-01:- रु. 98.96 लाख व्यय होने के बावजूद विगत चार वर्षो से निर्माण अवरुद्ध रहना व दस वर्षो से अधिक की समयावधि में भी कार्य पूर्णा न होना।

जनपद चमोली की तहसील थराली के आवसीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 460/18/(1) 2006 दिनांक 29.09.2006 के द्वारा रु. 132.00 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी। एवं राजकीय निर्माण निगम उत्तरप्रदेश की श्रीनगर इकाई को कार्यदाई संस्था के रूप में चयनित किया गया। निर्माण इकाई को सितंबर 2006 से अक्टूबर 2010 तक कुल रु. 98.96 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।

किन्तु निर्माण इकाई द्वारा उपलब्ध कराई गयी भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट के अनुसार कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 35% थी एवं वित्तीय प्रगति 64% थी।

इकाई का ध्यान इस ओर इंगित किए जाने पर उत्तर दिया गया कि आवासीय भवनों हेतों ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पायी थी एवं निर्माण सन 2013 से अवरुद्ध था।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं हैं क्योकि कार्य की स्वीकृति से पूर्व भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए थी, एवं तत्पश्चात ही धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जानी चाहिए थी। जुलाई 2013 में रु. 248.49 लाख का पुनिरीक्षित आगणन प्रस्तुत किया गया।

अतः रु. 98.96 लाख व्यय होने के बावजूद निर्माण क्रय भूमि की अनुपलब्धतता के कारण विगत चार वर्षो से अवरुद्ध था एवं दस वर्षो से अधिक व्यतीत होने के बाद भी कार्य अपूर्ण था।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II 'ब'

प्रस्तर-01:- दैवीय आपदा मद के अंतर्गत कार्यदायी संस्था के पास रु. **4.42** लाख की राशि अप्रयुक्त पड़ा रहना।

जिलाधिकारी, चमोली द्वारा नगर पालिका परिषद, गोपेश्वर को रु. 4.42 लाख की धनराशि स्वीकृति की गयी थी। किन्तु नगर पालिका परिषद द्वारा कार्य की तात्कालिकता को दृष्टिगत करते हुए संस्था के साधनों से ही धनराशि प्राप्त होने से पूर्व ही कार्य पूर्ण करा दिया गया, एवं इस संबंध में पत्र सं. 1021/दैवी आपदा / 2014-15 दिनांक 16.03.2015 के द्वारा जिलाधिकारी, चमोली को धनराशि अवमुक्त न करने हेतु सूचित किया गया। किन्तु जिलाधिकारी, चमोली द्वारा उपरोक्त रु. 4.42 लाख की राशि नगरपालिका को अवमुक्त कर दी गयी जो कि लेखा परीक्षा तिथि तक विगत दो वर्षो से अधिक समय से अप्रयुक्त पड़ी हुई है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि इस संबंध नगरपालिका गोपेश्वर को कई बार मौखिक रूप से निर्दिष्ट कर राशि संभन्धित खाते में जमा करने के निर्देश दिये गए।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा तिथि तक दैवीय आपदा मद के अंतर्गत रु. 4.42 लाख की धनराशि नगर पालिका परिषद के पास दो वर्षो से अधिक साम्य से अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>प्रस्तर-2</u> ₹ 0.49 लाख का अनियमित क्रय।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 9 के अनुसार "प्रत्येक अवसर पर ₹ 15,000 से अधिक तथा ₹ 1,00,000 तक लागत की सीमा में क्रय की जाने वाली सामग्री का क्रय कार्यालय अध्यक्ष द्वारा तीन सदस्यीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जा सकता है"। कार्यालय जिलाधिकारी, गोपेश्वर, चमोली के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्यालय के लिए मद संख्या-08 'कार्यालय व्यय' से वर्ष 2014-15 में (₹13800+5100) कुल ₹18900 एवं (₹15000+₹15000) कुल ₹30000 का क्रय, क्रय समिति के गठन की प्रक्रिया से बचने हेतु टुकडों में किया गया। विवरण निम्न है

फर्म का नाम	बिल संख्या	दिनांक	धनराशि (₹ में)
बिष्ट इलैक्ट्रिक वर्कस, इन्दिरा मार्केट, गोपेश्वर	18	21.01.2015	13800
बिष्ट इलैक्ट्रिक वर्कस, इन्दिरा मार्केट, गोपेश्वर	19	21.01.2015	5100
रावत क्लाथ एम्पोरियम, गोपेश्वर	304	10.09.2014	15000
रावत क्लाथ एम्पोरियम, गोपेश्वर	305	15.09.2014	15000
योग			48,900

उपरोक्त क्रय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 का उल्लंघन है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि उक्त सामग्री जिलाधिकारी महोदय के मौखिक निर्देशानुसार तात्कालिक प्रभाव से क्रय की गयी है, भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमावली का अनुपालन न किया जाना गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	
नि.सि./ले.प.प्रति-08/2007-08	-	03	अप्राप्त
नि.सि./ले.प.प्रति-115/2008-09	2	5	भाग-II 'अ' प्रस्तर-01-02 अप्राप्त भाग-II 'ब' प्रस्तर-01-03 अप्राप्त भाग-II 'ब' प्रस्तर-04 कार्यालय द्वारा रोकड़बही का रखरखाव न किया जाना एवं ₹ 9.33 करोड़ का लेखांकन न किया जाना। भाग-II 'ब' प्रस्तर-05 विगत 7-8 वर्षों से ₹ 2.60 करोड़ का अवरुद्धन।
नि.सि./ले.प.प्रति-07/2010-11	-	01	भाग-II 'ब' प्रस्तर-01 पटवारी चौकियों के निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि ₹ 104.40 लाख अवरुद्ध रखना।
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-40/2011-12	01	04	भाग-II 'अ' प्रस्तर-01 समय वृद्धि एवं लागत वृद्धि। भाग-II 'ब' प्रस्तर-01 बिना व्यय किए ₹19.11 लाख की PLA मे रखा जाना। भाग-II 'ब' प्रस्तर-02 ₹194.60 लाख का दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत कार्य अपूर्ण रहना। भाग-II 'ब' प्रस्तर-03 अनियमित व्यय। भाग-II 'ब' प्रस्तर-04 ₹107.19 लाख के चैकों का विभागीय अभिलेखों से मिलान न किया जाना।
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-26/2014-15	-	02	भाग-II 'ब' प्रस्तर-01 दैवीय आपदा की धनराशि ₹ 2891.37 लाख का कार्यदायी संस्थाओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त न कराया जाना। भाग-II 'ब' प्रस्तर-02 धनराशि ₹102.30 लाख का मिलान न पाया जाना। भाग-II 'ब' प्रस्तर-03 ₹60.07 लाख के निर्माण का सत्यापन न होना एवं समय से पूर्ण न होना।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, गोपेश्वर, चमोली तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य
2. सतत् अनियमितताएः शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्री एस.ए. मुरुगेशन	जिलाधिकारी	04.05.2012	16.01.2015
2.	श्री अशोक कुमार	जिलाधिकारी	17.01.2015	16.10.2015
3.	श्री विनोद कुमार सुमन	जिलाधिकारी	14.10.2015	16.05.2017
4.	श्री आशीष जोशी	जिलाधिकारी	17.05.2017	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय जिलाधिकारी, गोपेश्वर, चमोली को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र